

DAILY CURRENT AFFAIRS

15 DECEMBER 2024

- ◆ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A
- ◆ गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड
- ◆ गुना हो जायेगी 2031 तक भारत की
परमाणु ऊर्जाक्षमता

- ◆ न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता
- ◆ भारत में पर्ल फार्मिंग
- ◆ 2024 का मानव तस्करी पर ज्लोबल
रिपोर्ट (UNODC)

LIVE 8:00 AM

Er. Ravi Mohan Sharma Sir



The Indian
EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 2: **शासनः** कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सुधार के लिए तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय

498A

livelaw.in

◆ www.livelaw.in

www.livelaw.in






भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

चर्चा में क्यों?

● सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई, जहां पत्नी पति और परिवार पर व्यक्तिगत बदले के आरोप लगाती है। अदालत ने अस्पष्ट आरोपों और निर्दोष परिवारजनों को झूटे मामलों में छसीटने को कानून का दुरुपयोग बताया।





भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

प्रमुख बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जैसी प्रावधानों का "निजी प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग" करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो विवाहित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।
- जस्टिस बी. वी. नागरका और कोटिस्कर सिंह की पीठ ने कहा कि धारा 498A का उद्देश्य महिलाओं पर पाते और उनके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों को रोकना था।



भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

प्रमुख बिंदु:

- हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों और परिवारों के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस धारा का दुरुपयोग "पति और उनके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक उपकरण" के रूप में किया जा रहा है।
- पीठ ने बताया कि "वैवाहिक विवादों में किए गए अस्पष्ट और सामान्य आरोप" न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और पत्नी व उसके परिवार द्वारा "दबाव बनाने की रणनीतियों" को बढ़ावा देंगे।



उसकी परिणाम

एवं उसकी छास

साल एवं उसके

न्याय नसु-



भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

प्रमुख बिंदु:

- यह मामला तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ था जिसमें पति, उसके माता-पिता और तीन बहनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि "एफआईआर में आरोप अस्पष्ट और सामान्यीकृत हैं।" पत्नी ने कोई विशेष घटना, समय, तिथि, स्थान या तरीके का जिक्र नहीं किया।





भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A

प्रमुख बिंदु:

- अदालत ने कहा, "मामले में पति के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम मात्र जोड़ने को शुरूआती स्तर पर ही रोका जाना चाहिए।"
- सामान्य और झूठे आरोपों के आधार पर पति के परिवार को मुकदमे में घसीटना "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और निर्दोष लोगों को परेशान करना है।"


धारा 498A के बारे में

- यह भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसको 1983 में लागू किया गया था, ताकि जो विवाहित महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 84 भी इसी प्रावधान से संबंधित है।



धारा 498A के बारे में

- उद्देश्य: घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाना और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।
 - सजा: दोषी पाए जाने पर पति या ससुराल वालों को तीन साल तक की जेल और जुमना हो सकता है।
 - क्रूरता का परिभाषा: ऐसा आचरण जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या उसके शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाए।
- क्रूरता की परिभाषा**



धारा 498A के बारे में

- शिकायत: विवाहित महिला कभी भी शिकायत दर्ज कर सकती है; इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है।
- कानूनी स्थिति: यह अपराध संजेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य है।



धारा 498A के बारे में

धारा 498A के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक तत्व

- महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। ✓
- उसे क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।
- यह क्रूरता या उत्पीड़न महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किया गया हो।



धारा 498A के बारे में

धारा 498A की आवश्यकता


- महिला अधिकारों की सुरक्षा: यह धारा महिलाओं को घटेलूँ हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मानसिक/शारीरिक यातना से बचाने के लिए एक प्रभावी उपाय है। 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-3) के अनुसार, 40% विवाहित महिलाओं को शारीरिक, यौन, या मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है।



धारा 498A के बारे में

धारा 498A की आवश्यकता

- दहेज प्रथा पर रोक: दहेज की अवैध मांग और इसके कारण होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानूनी कार्टवाई का प्रावधान।
- कानूनी प्रावधान की कमी: उस समय घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए कोई अन्य कानून नहीं था। 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम को धारा 498A के पूरक के रूप में लाया गया।



धारा 498A के बारे में

धारा 498A की आवश्यकता


- समाज में **जागरूकता:** महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के मामलों को **उजागर कर** **उन्हें न्याय दिलाने** का माध्यम।
- त्वरित कानूनी हस्तक्षेप: महिलाओं को **जल्द सुरक्षा** और न्याय प्रदान करना।




धारा 498A के बारे में

धारा 498A का दुष्पर्योग प्रैल का विवादित

- व्यक्तिगत **बदले** का उपकरण: कुछ **सामलों** में पत्नियां पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर इस कानून का उपयोग प्रतिशोध के लिए करती हैं।
- अस्पष्ट आरोप: बिना साक्ष्य के लगाए गए सामान्य आरोपों के कारण निर्दोष लोगों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।





धारा 498A के बारे में

धारा 498A का दृष्टिप्रयोग




- परिवार के अन्य सदस्यों को घसीटना: पति के माता-पिता और रिश्तेदारों को भी बिना किसी ठोस सबूत के मामले में शामिल किया जाता है।
- मानसिक और सामाजिक प्रभाव: इन मामलों के कारण आरोपी परिवार को सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है।



धारा 498A के बारे में

धारा 498A का दुःखपयोग

- सुप्रीम कोर्ट की राय: अदालत ने इस कानून के संवेदनशील और न्यायपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि इसे व्यक्तिगत बदले के लिए उपयोग न किया जाए।



गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिफाई

UPSC Syllabus Relevance:

- For Prelims वर्तमान घटनाएँ: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व





गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

● गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र और भोपाल में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ। कुरुक्षेत्र में 18,000 बच्चों और 1.5 करोड़ ऑनलाइन प्रतिभागियों ने भाग लिया, कुरुक्षेत्र और भोपाल में गीता पाठ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई।





गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड

प्रमुख बिंदु:

- देशभर में गीता जयंती मनाई गई।
- कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 बच्चों ने एक साथ बैठकर गीता के मंत्रों का जाप किया।
- लगभग 1.5 करोड़ लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े, जिससे नया रिकॉर्ड बना।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क रखा।

गीता जयंती का ऐतिहासिक रिकॉर्ड



गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड

प्रमुख बिंदु:

- मध्यप्रदेश में भोपाल और उज्जैन में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया।
- भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।



गीता जयंती 2024 पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड

प्रमुख बिंदु:

- भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टडियम में राज्यस्तरीय गीता पाठ आयोजित हुआ, जिसमें 9 मिनट तक गीता के कर्म योग अध्याय का पाठ हुआ।
- इस कार्यक्रम में 3,721 आचार्य और बटुक भी शामिल हुए।
- सामूहिक गीता पाठ के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

उत्पत्ति और इतिहास:

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की शुरूआत 1950 के दशक में एक अजीबोगरीब पब बहस से हुई। यह बहस इंग्लैंड के गिनीज ब्रेकरी के प्रबंध निदेशक, सर ह्यूग बीवर और कुछ दोस्तों के बीच हुई थी, जब वे यह तय नहीं कर पाए कि यूरोप का सबसे तेज़ रिकार्ड करने वाला पक्षी कौन सा है।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

उत्पत्ति और इतिहास:

- इस विवाद को हल करने के लिए सर ह्यूग ने एक पुस्तक बनाने का विचार किया, जो मानवता और प्रकृति से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स का संग्रह हो। इसके बाद उन्होंने नॉरिस और रॉस मैकफ्लिटर नामक दो शोधकर्ताओं को इस पुस्तक के लिए जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

उत्पत्ति और इतिहास:

- इस किताब का पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ था, जिसे "गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" कहा गया। पहले संस्करण को बहुत ही तेजी से सफलता मिली, और यह किताब दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

संरचना और उद्देश्य

48 छंडे

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का उद्देश्य दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स को दस्तावेज़ करना है, जो किसी भी तरह की मानव उपलब्धियों, प्राकृतिक घटनाओं, या असाधारण घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं।
- इसमें 62,252 सक्रिय रिकॉर्ड्स शामिल हैं, जो विभिन्न श्रेणियों में दर्ज हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊँची इमारत, सबसे लंबे नाखून, सबसे तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति आदि।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

संरचना और उद्देश्य

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने समय के साथ अपनी पकड़ को बढ़ाया और अब इसके साथ टीवी शो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और सोशल मीडिया की व्यापक उपस्थिति भी जुड़ी हुई है।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

रिकॉर्ड बनाने और सत्यापन प्रक्रिया

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पास 75 से अधिक निरीक्षकों का नेटवर्क है, जो वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयासों की निगरानी और प्रमाणन करते हैं।
- यदि किसी व्यक्ति को नया रिकॉर्ड बनाना है, तो उसे आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

रिकॉर्ड बनाने और सत्यापन प्रक्रिया

- रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए नियमित मापदंड जैसे मापने योग्य, तोड़ने योग्य, मानकीकरण योग्य, सत्यापन योग्य होना ज़रूरी होता है।
- इसके बाद, गिनीज टीम उस रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है और रिकॉर्ड की पुष्टि करती है।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

विस्तार

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने समय के साथ अपने दायरे को बढ़ाया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो गया। इसका टीवी शो भी कई देशों में प्रसारित होता है।
- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की प्रतिष्ठा अब वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है, और यह अब न केवल एक पुस्तक के रूप में, बल्कि एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित हो चुका है।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

प्रमुख रिकॉर्ड्स

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए कुछ प्रमुख रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे **लंबी इमारत** (बुज खलीफा), सबसे तेज़ 100 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति (उसैन बोल्ट), और सबसे **लंबी नाखूनों** वाली महिला (ली रेडमंड) शामिल हैं।



गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में

प्रमुख रिकॉर्ड्स

- इसके अलावा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सामूहिक रिकॉर्ड्स जैसे सबसे बड़े गीता पाठ (जहां हजारों लोग एक साथ गीता के लोक पढ़ते हैं) और सबसे बड़ा डांस ग्रुप जैसे रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं।
- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इतिहास और विकास बताता है कि यह न केवल एक रिकॉर्ड बुक है, बल्कि यह विश्व भर में मानवता की असाधारण उपलब्धियों और प्राकृतिक घटनाओं का दस्तावेज है, जो निरंतर वैश्विक धरोहर बनता जा रहा है।



3 गुना हो जायेगी 2031 तक मात्र की परमाणु ऊर्जा क्षमता

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 3: विज्ञान प्रौद्योगिकी: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा हाल के मिथन





3 गुना हो जायेगी 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता

चर्चा में क्यों?

● केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि भारत की परमाणु शक्ति क्षमता पिछले दस वर्षों में दोगुनी होकर 8,081 मेगावाट हो गई है, और 2031 तक यह तीन गुना बढ़कर 22,480 मेगावाट होने की उम्मीद है। उन्होंने इस प्रगति को राजनीतिक इच्छाशक्ति से जोड़ा।





3 गुना हो जायेगी 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बताया कि पिछले दशक में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से बढ़कर 8,081 मेगावाट हो गई है और 2031 तक यह क्षमता तीन गुना बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुँच जाएगी।
- मंत्री ने कहा कि यह प्रगति न केवल तकनीकी कौशल पर आधारित है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की सक्रिय भूमिका ने भी इसे संभव बनाया है।



3 गुना हो जायेगी 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता

प्रमुख बिंदु:

- मंत्री ने बताया कि बिजली वितरण का नया फार्मूला अब राज्य, पड़ोसी राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड के बीच बिजली वितरण को 50%, 35% और 15% के अनुपात में करता है, जिससे संघीय भावना को बढ़ावा मिलता है।
- तिरुनेलवेली में एक परियोजना लंबित है, जिससे राज्य में क्षमता विस्तार में देरी हो रही है, लेकिन कुडनकुलम और कलपक्कम परियोजनाओं ने 2014 के बाद प्रगति की है।



3 गुना हो जायेगी 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता

प्रमुख बिंदु:

- जितेंद्र सिंह ने होमी भाभा द्वारा envisioned शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा अनुप्रयोगों का उल्लेख किया, जिनमें कृषि में 70 उत्परिवर्तित फसल किस्में और स्वास्थ्य में कैंसर उपचार के लिए आइसोटोफ्स शामिल हैं।
- **थोरियम भंडार:** भारत के पास दुनिया के थोरियम आपूर्ति का 21% हिस्सा है, और मौज़ीट खनिज से इसे प्राप्त किया जाता है। मंत्री ने कहा कि देश थोरियम के उपयोग की दिशा में भी अग्रसर है।



3 गुना हो जायेगी 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता

प्रमुख बिंदु:

● **भवानी परियोजना:** भारत की स्वदेशी भवानी परियोजना

थोरियम का उपयोग कर रही है, जिससे यूरेनियम और अन्य

आयातित सामग्री पर निर्भरता कम होगी।

न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

- न्यूक्लियर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक (कोर) से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक को विभाजित करने या जोड़ने की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त की जाती है।




न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

न्यूक्लियर प्रतिक्रियाएँ:

1. न्यूक्लियर फिशन (Nuclear Fission):

- यह प्रक्रिया तब होती है जब एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 के नामिक को न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाता है, जिससे वह दो छोटे नामिकों में विभाजित हो जाता है और ऊर्जा (हीट और विकिरण) का उत्सर्जन करता है।
- यह मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होती है।




न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

न्यूक्लियर प्रतिक्रियाएँ:

2. न्यूक्लियर फ्यूजन (Nuclear Fusion):


- यह तब होती है जब दो परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।
- इसमें दो हल्के परमाणु नाभिक (जैसे हाइड्रोजन के) मिलकर एक भारी नाभिक (जैसे हीलियम) बनाते हैं और इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
- यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों में स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन पृथकी पर इसे नियंत्रित करना अभी तक एक चुनौती है।



न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

न्यूक्लियर रिएक्टर


- न्यूक्लियर रिएक्टर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का हिस्सा होता है, और यह न्यूक्लियर चेन रिएक्टरान को नियंत्रित करने का काम करता है।
- प्रत्येक फिशन प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा हीट और विकिरण के रूप में मुक्त होती है।
- न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने और उसे नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट तत्वों के परमाणुओं को विभाजित (फिशन) करते हैं। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह भाप बनाने के लिए उपयोग की जाती है, जो फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होती है।



न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

न्यूक्लियर रिएक्टर के घटक

- 1. इंधन (Fuel): न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग किया गया इंधन ऐसे परमाणुओं से बना होता है, जिनकी ऊर्जा फिशन द्वारा प्राप्त की जाती है। यूरेनियम-235 सबसे सामान्य इंधन है।
- 2. कंट्रोल रॉड्स (Control Rods): रिएक्टर में चेन रिएक्टरन को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का उपयोग किया जाता है, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। इन्हें गिराया या छींचा जा सकता है ताकि फिशन दर को बनाए रखा या बढ़ाया जा सके।



न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

न्यूक्लियर रिएक्टर के घटक

- 3. मॉडरेटर (Moderator): इसका कार्य न्यूट्रोनों को धीमा करना होता है जो फिशन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। यह न्यूट्रोन बहुत ऊर्जावान हो सकते हैं, जिनसे अन्य फिशन प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने में कठिनाई हो सकती है।
- 4. कूलेंट (Coolant): फिशन के दौरान उत्पन्न गर्मी को रिएक्टर कोर से टरबाइन और जनरेटर तक पहुंचाने के लिए कूलेंट की आवश्यकता होती है। यह कूलेंट वह द्रव होता है, जो न्यूक्लियर इंधन द्वारा उत्पन्न गर्मी को हटाने का कार्य करता है।



न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

न्यूक्लियर रिएक्टर के घटक

- 5. स्टीम जनरेटर (Steam Generator): ये बड़े हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, जो एक तरल से दूसरे तरल में गर्मी स्थानांतरित करते हैं, जैसे PWR में हाई-प्रेशर प्राथमिक सर्किट से पानी को उबालकर सेकेंडरी सर्किट में बदलना।



न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है?

- भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम: डॉ. होमी भाभा द्वारा 1950 के दशक में तैयार किया गया, यह कार्यक्रम भारत की ऊर्जा स्वायत्तता हासिल करने के उद्देश्य से थोरियम और यूरेनियम के भंडार का उपयोग करेगा।
- चरण 1:** प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले प्रेसराइज़ हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWRs)।
- चरण 2:** प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करते हुए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs)।
- चरण 3:** थोरियम का उपयोग कर उच्च-प्रदर्शन परमाणु प्रणाली।



भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

- परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 2% योगदान करता है।
- वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जो मिलकर ~~6,780~~ मेगावाट (MW) परमाणु ऊर्जा उत्पादन करते हैं।
- इनमें से 18 रिएक्टर प्रेसराइज्ड हैरी वॉटर रिएक्टर (PHWRs) हैं और 4 रिएक्टर लाइट वॉटर रिएक्टर (LWRs) हैं।




भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

- जनवरी 2021 में, काक्रापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (KAPP-3) को ग्रिड से जोड़ा गया, जो भारत का पहला 700 मेगावाट क्षमता वाला और सबसे बड़ा स्वदेशी विकसित PHWR है।
- भारतीय सरकार ने न्यूकिलियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) के बीच संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी दी है, ताकि भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सके।



भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

- NPCIL अब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ संयुक्त उपक्रमों में काम कर रहा है।
- सरकार परमाणु संयंत्रों के विस्तार को अन्य हिस्सों में बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए, हरियाणा के गोटखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र जल्द ही चालू होने वाला है।



भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

- भारत एक पूरी तरह से स्वदेशी थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र "भावनी" पर काम कर रहा है, जो यूरेनियम-233 का उपयोग करने वाला पहला संयंत्र होगा। "कामिनी" नामक प्रयोगात्मक थोरियम संयंत्र पहले ही कल्पकक्षम में स्थापित है।



भारत में परमाणु खनिज

- भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों जैसे यूरेनियम और थोरियम के समृद्ध भंडार हैं। इसके अतिरिक्त, बेरिलियम, लिथियम और जिरकोनियम जैसे अन्य परमाणु खनिज भी भारत की खनिज संपत्ति में योगदान करते हैं।



भारत में पटमाणु खनिज

भारत में यूरेनियम


- भारत में यूरेनियम के खजाने मुख्य रूप से क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। ✓
- झारखंड राज्य में देश के कुल यूरेनियम भंडार का 70% हिस्सा स्थित है।
- प्रमुख यूरेनियम खजाने झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग जिलों, बिहार के गया जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाए जाते हैं।



भारत में पर्याण खनिज

भारत में यूरेनियम

- भारत में अनुमानित कुल यूरेनियम अंडाएँ 30,480 टन हैं।
- भारत वर्तमान में दुनिया के यूरेनियम का लगभग 2% उत्पादन करता है।
- झारखंड: जादगढ़ा, भटिन, नावपिहर, बगजाता, तुरामदीह, बंधुहुंग, मोहुलदीह
- मेघालय: किल्लेंग, पेंदेग-शहियॉन्ग (डोमियासियात), मावथाबाह, वाखिम
- लंबापुर-पेडगढ़, तुम्मलापल्ली



भारत में परमाणु खनिज

भारत में परमाणु खनिजों की खदानें

- यूरेनियम खदानें: **जादूगुड़ा, भट्टिल, नावपिहर, बगजाता,** तुरामदीह, बंधुहुंग, मोहुलदीह।

अन्य परमाणु खनिज:

- मोनाजाइट: केरल तट पर संकेंद्रित, जिसमें अनुमानित 15,200 टन यूरेनियम है।
- इलमेनाइट: झारखण्ड राज्य में पाया जाता है।
- बेरिलियम: राजस्थान, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भंडार हैं।




भारत में परमाणु खनिज

भारत में परमाणु खनिजों की खदानें

अन्य परमाणु खनिज:


- जिरकोनियम: केरल तक पर और रांची और हुजारीबाग जिलों की समतल चट्टानों में पाया जाता है।
- लिथियम: झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बड़तर क्षेत्र ने व्यापक ढंप से वितरित है।



भारत में परमाणु खनिज

भारत में थोरियम


- भारत के पास विश्व में सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं।
- थोरियम मोनाजाइट जैसे खनिजों से प्राप्त होता है, जिसमें 10% थोरिया और 0.3% यूरेनिया होता है।
- भारत का उद्देश्य परमाणु ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए थोरियम का उपयोग करते हुए परमाणु ईंधन उपभोग के तीसरे चरण में प्रवेश करना है।



भारत में परमाणु खनिज

भारत में थोरियम

- थोरियम (Th) एक प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथकी की क्रस्ट में यूरेनियम की तुलना में थोरियम लगभग तीन से चार गुना अधिक मात्रा में मौजूद है।
- मोनाजाइट रेत, जो व्यापक रूप से केरल तट पर पाई जाती है, थोरियम का प्रमुख स्रोत है। थोरियम के पास परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह लेने की क्षमता है, हालांकि अब तक बहुत कम थोरियम रिएक्टरों का निर्माण हुआ है।



न्यायाधीशों के लिए आवाद संहिता ✓

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 2: जीएस पेपर 2: राजनीति:
कार्यपालिका और न्यायपालिका की
संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली





न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

चर्चा में क्यों?

● न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की मुस्लिम समुदाय के बारे में दिए गए विवादास्पद टिप्पणी ने सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया है। इस घटना ने न्यायिक आचार संहिता, न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा, और संभावित महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा को प्रेरित किया है।





न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

प्रमुख बिंदुः

● इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए **टिप्पणी** ने जनता की आलोचना का सामना किया।

राजनेता

Justice
न्यायाधीश



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

प्रमुख बिंदुः

● न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि देश की कार्यशैली हिंदुस्तान में रहने वाले बहुमत की इच्छाओं के अनुसार चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि एक समुदाय के बच्चों को दया और सहिष्णुता सिखाई जाती है, दूसरे समुदाय के बच्चों से यही उम्मीद करना मुश्किल है, खासकर जब वे जानवरों की हत्या देखते हैं।





न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

प्रमुख बिंदु:

● न्यायमूर्ति यादव ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू महिलाएं देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जबकि "दूसरे समुदाय" के लोग बहुविवाह, हलाला और तिहरी तलाक जैसी प्रथाओं का पालन करते हैं।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

प्रमुख बिंदु:


● आल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर कहा कि न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणी लोकतंत्र से हटकर "हिंदुत्व राष्ट्र" की ओर झुकाव दिखाती है।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

प्रमुख बिंदु:

- प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण द्वारा नेतृत्व किए गए न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति यादव का एक "दक्षिणपंथी कार्यक्रम" में भाग लेना और उनके साम्प्रदायिक बयान उनके पद की शपथ का उल्लंघन है।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कपिल सिंबल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के impeachment की मांग की है।





न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

न्यायिक आचार संहिता

- न्यायपालिका अपनी शक्ति दो स्रोतों से प्राप्त करती है: जनता का न्यायपालिका के अधिकार पर विश्वास और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा।
- सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 1997 को "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनः विवरण" (Restatement of Values of Judicial Life) नामक आचार संहिता को अपनाया।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

न्यायिक आचार संहिता

- इस आचार संहिता का पहला नियम यह है कि न्यायाधीश का व्यवहार "न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करता है" और किसी भी न्यायाधीश के ऐसे कार्यों से बचने की आवश्यकता है जो इस विश्वास को कम करें।
- बेंगलुरु सिद्धांत (Bangalore Principles of Judicial Conduct) 2002 के तहत यह आवश्यक है कि न्यायाधीश को समाज की विविधता का सम्मान करना चाहिए और सभी को समान रूप से देखना चाहिए।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

न्यायिक आचार संहिता

● संयुक्त राष्ट्र न्यायिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत (1985), यह सुनिश्चित करता है कि न्याय का पालन किया जाए और न्यायाधीश भेदभाव किए बिना कार्य करें, साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया

- संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को "सिद्ध दोष या अयोग्यता" के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।
- महाभियोग प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यता के विशेष बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से समर्थन प्राप्त होना चाहिए।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया

- इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों का सामना करने वाले न्यायाधीशों को स्वेच्छा से सेवानवृत्त होने का विकल्प प्रदान किया है, ताकि सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जा सके।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

महाभियोग की प्रक्रिया

- यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो इसे राष्ट्रपति, CJI या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाता है।
- CJI शिकायत प्राप्त होने पर उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज सकते हैं, जो फिर उस न्यायाधीश से बयान लेकर स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

महाभियोग की प्रक्रिया

● यदि रिपोर्ट पर्याप्त सामग्री देती है, तो CJI न्यायाधीश से सेवानिवृत्त होने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने से इंकार करते हैं, तो CJI राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान में CJI (मुख्य न्यायाधीश) के महाभियोग के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
- अनुच्छेद 124(4) में "सिद्ध दुर्व्यवहार या अयोग्यता" का उल्लेख किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग का आधार है।
- CJI भी अन्य न्यायाधीशों की तरह इस आधार पर महाभियोग का सामना कर सकते हैं।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

महाभियोग प्रक्रिया

- **जज (जांच) अधिनियम, 1968:** महाभियोग प्रक्रिया के नियम बताता है।
- **प्रस्ताव पर हस्ताक्षर:** राज्यसभा के 50 या लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- **जांच समिति:** एक SC न्यायाधीश, एक HC मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायिक शामिल होंगे।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

महाभियोग प्रक्रिया

- **संसद में प्रस्ताव:** दोनों सदनों में साधारण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से पारित होना आवश्यक है। ✓
- **राष्ट्रपति का आदेश:** केवल राष्ट्रपति ही न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं।
- **न्यायाधीश का अधिकार:** जांच के दौरान न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने और बचाव करने का अधिकार होता है।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

जटिलता


- महाभियोग प्रक्रिया न पूरी तरह राजनीतिक है और न ही पूरी तरह न्यायिक।
- **न्यायिक प्रक्रिया:** प्रस्ताव का स्वीकृत होना और जांच समिति का गठन।
- **राजनीतिक प्रक्रिया:** संसद में प्रस्ताव का पारित होना, क्योंकि सदस्य अक्सर पार्टी लाइनों के अनुसार वोट करते हैं।
- प्रक्रिया की जटिलता के कारण आज तक कोई न्यायाधीश हटाया नहीं गया।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

पीठासीन अधिकारी की भूमिका

- **प्रस्ताव स्वीकार/अस्वीकार:** पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- **आधार:** केवल सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं है; आरोप प्रथम दृष्ट्या सही होने चाहिए।
- **प्रारंभिक चरण में अवरोध:** यदि आरोप पूरी तरह निराधार हों, तो प्रस्ताव को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है।





न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

‘सिद्ध दुर्ब्यवहार’ क्या है?

- संविधान में ‘अयोग्यता’ और ‘सिद्ध दुर्ब्यवहार’ को परिभाषित नहीं किया गया है।

जज (जांच) विधेयक, 2006:

- न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला जानबूझकर या लगातार व्यवहार।
- न्यायिक कार्यालय का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, या नैतिक पतन से संबंधित अपराध।



न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

‘सिद्ध दुर्ब्यवहार’ क्या है?

● न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010:

- संपत्ति की झूठी जानकारी देना या घोषणा करने में असफल होना।
- न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय या कार्य।
- सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण: न्यायाधीश की गतिविधियों से न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है, तो इसे दुर्ब्यवहार माना जा सकता है।

आटा नें पल्फारिंग

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 3: अर्थशास्त्र: योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे





भारत में पर्ल फार्मिंग

चर्चा में क्यों?

● मछली पालन विभाग ने प्राकृतिक मोती पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और मोती पालन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।





भारत में पर्ल फार्मिंग

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 2307 द्विपत्रक (mussels, clams, pearl आदि) इकाइयों को ₹461 लाख की लागत से मंजूरी दी गई।
- मोती पालन की आर्थिक उपयोगिता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करने के लिए किसानों को सहायता दी गई।



भारत में पर्ल फार्मिंग

प्रमुख बिंदु

- मछली पालन और जल कृषि क्षेत्र में क्लस्टर विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई।
- झारखण्ड के हजारीबाग में पहला मोती पालन क्लस्टर स्थापित किया गया।
- तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर 1.65 करोड़ समुद्री मोती के बीज ICAR-CMFRI द्वारा रेंच किए गए।



भारत में पर्ल फार्मिंग

प्रमुख बिंदु

- गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, केरल, राजस्थान, झारखण्ड, गोवा और त्रिपुरा में मोती पालन की गतिविधियाँ संचालित हैं। //
- झारखण्ड के हजारीबाग जिले से 1.02 लाख मोती का उत्पादन राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा रिपोर्ट किया गया। //
- ICAR-CIFA, भुवनेश्वर ने राज्य मत्स्य पालन विभागों के साथ मिलकर 1500 से अधिक प्रतिभागियों को पिछले 5 वर्षों में 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।



भारत में पर्ल फार्मिंग

प्रमुख बिंदु

- ICAR-CMFRI, कोचि ने केरल में 400 प्रतिभागियों को समुद्री मोती पालन पर प्रशिक्षण दिया।
- मछली पालन विभाग ने राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर प्राकृतिक मोती की बाजार संपर्क को मजबूत करने के लिए बैठकें आयोजित कीं।



मोती पालन (Pearl Farming)

मोती की विशेषता:


- मोती दुनिया का एकमात्र रत्न है जो जीवित प्राणी से प्राप्त होता है।
- यह मोलस्क जैसे सीप और घोंघे द्वारा बनाया जाता है।
- मोती उत्पादन के लिए कई देशों में मोती सीप का पालन किया जाता है।
- मीठे पानी के मोती मीठे पानी के मोलस्क पर आधारित फार्मों में उगाए जाते हैं।
- चूंकि मोलस्क प्राकृतिक मेजबान हैं, मीठे पानी के मोती खारे पानी के मोती से 10 गुना बड़े हो सकते हैं।



मोती पालन (Pearl Farming)

परिभाषा:

- मोती पालन एक नियंत्रित वातावरण में मीठे पानी या खारे पानी के मोलस्क के भीतर मोती उगाने की प्रक्रिया है।
- इसमें मोलस्क के शरीर में एक उत्तेजक (नामिक) डालकर मोती बनाने की प्रक्रिया होती है।
- मोलस्क उत्तेजक के चारों ओर मोती की परत (नैकर) स्रावित करते हैं, जो समय के साथ मोती का ढंप लेती है।



मोती पालन (Pearl Farming)

- नैकट: यह जैव-अकार्बनिक मिश्रित प्रणाली है, जिसे कुछ मोलस्क अपनी आंतरिक खोल परत के ठप में बनाते हैं। नैकट मजबूत, लचीला और इंद्रधनुषी होता है, जो मोती का मुख्य घटक है।
- मोलस्क: यह नरम शरीर वाले अकरीलकी प्राणी हैं, जो समुद्र, मीठे पानी, खारे पानी या भूमि पर रहते हैं, जैसे घोंघे, ऑक्टोपस, सीप आदि।



मोती पालन (Pearl Farming)

मोती पालन की प्रक्रिया

मोती पालन में मुख्यतः छह चरण शामिल होते हैं:

- 1. मोलस्क संग्रहण: मीठे पानी या खारे पानी के मोलस्क को इकट्ठा करना। यह चरण स्थानीय जलवायु और जल स्रोतों के अनुसार किया जाता है।
- 2. पूर्व-संचालन तैयारी: मोलस्क को कैद में रखकर कुछ दिनों तक अनुकूलित स्थिति में तैयार किया जाता है। इन्हें सही आहार और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है।



मोती पालन (Pearl Farming)

मोती पालन की प्रक्रिया

मोती पालन में मुख्यतः छह चरण शामिल होते हैं:

- 3. नाभिक रोपण (Implantation): एक छोटे उत्तेजक (नाभिक) या ग्राफ्ट ऊतक को मोलस्क के शरीर में सावधानीपूर्वक डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुशल तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।
- 4. संचालन के बाद देखभाल: नाभिक रोपण के बाद मोलस्क को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक उपचार दिया जाता है। इन्हें कुछ समय तक विशेष टैंकों में रखा जाता है।



मोती पालन (Pearl Farming)

मोती पालन की प्रक्रिया

मोती पालन में मुख्यतः छह चरण शामिल होते हैं:

- 5. तालाब संस्कृति: मोलस्क को तालाब या झीलों में 12 से 18 महीनों तक रखा जाता है। इस अवधि में मोलस्क नैकर की परतों का निर्माण करते हैं, जिससे मोती तैयार होता है।
- 6. मोती की कटाई: समय पूरा होने पर मोलस्क को सावधानीपूर्वक खोला जाता है और मोती निकाला जाता है।



मोती पालन (Pearl Farming)

चुनौतियां

- उच्च प्रारंभिक निवेश। ✓ *investment*
- मोलस्क का रोग और संक्रमण। *बोरे* ↗ *इंफेक्शन*
- बाजार की अनिश्चितता। ↗
- किसानों की तकनीकी जानकारी की कमी।



मोती पालन (Pearl Farming)

सरकार की पहल

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): मोती पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।
- ICAR प्रशिक्षण कार्यक्रम: तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान।
- सहायता: राज्यों को कल्टर विकास और बाजार संपर्क मजबूत करने में मदद।



2024 का नाना तथा पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 3: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच: संरचना और अधिदेश





2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र की 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ने गरीबी, संघर्ष, और जलवायु परिवर्तन के कारण बाल तस्करी, जबरन श्रम, और आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी उजागर की। रिपोर्ट 156 देशों पर केंद्रित है, जिसमें अफ्रीका और यूरोप में तस्करी की गहराई से चर्चा की गई।

(156) डेश





2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

मुख्य बिंदु:

तस्करी के कारणों में वृद्धि:

- गरीबी, संघर्ष, और जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का शोषण बढ़ रहा है।
- बच्चों की तस्करी, जबरन श्रम और अपराधों के लिए तस्करी में वृद्धि देखी गई है।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

मुख्य बिंदु:

वैश्विक परिदृश्यः

- 2022 में, महामारी-पूर्व 2019 की तुलना में तस्करी के शिकार लोगों की संख्या में 25% क्रमद्विद्वय हुई।
- प्रमुख शोषण के प्रकार: जबरन श्रम, बैन शोषण, और जबरन अपराध।

टोरेंजिगरी

तस्करी



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

मुख्य बिंदु:

वैश्विक परिदृश्य:

- बच्चों की तस्करी में 31% की वृद्धि हुई, जो कुल पीड़ितों का 38% हैं।
- लड़कियों को यौन शोषण के लिए, जबकि लड़कों को जबरन श्रम और अपराध के लिए तस्करी का शिकार बनाया गया।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

तस्करी के मूल कारण और यूरोप पर प्रभाव:

मुख्य कारण:

- गरीबी, सामाजिक असमानता, और लंबे समय से चल रहे संघर्ष।
- अफ्रीका में सशस्त्र संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन बढ़ रहा है।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

तस्करी के मूल कारण और यूरोप पर प्रभाव:

अफ्रीकी पीड़ितों का यूरोप में प्रभाव:

- 2,000 से अधिक अफ्रीकी पीड़ित यूरोप में तस्करी का शिकार बने।
- जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका से यूरोप और मध्य पूर्व में तस्करी बढ़ी।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

तस्करी के मूल कारण और यूरोप पर प्रभाव:

- 2022 में, 162 राष्ट्रीयताओं के पीड़ितों को 128 देशों में तस्करी के लिए ले जाया गया।
- 58% पीड़ितों को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर तस्करी की गई।
- पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में तस्करी के मामलों में 45% वृद्धि हुई।
- तस्करी के मुख्य क्षेत्र: कृषि, रेस्तरां, और घरेलू कार्य।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

तस्करी के मूल कारण और यूरोप पर प्रभाव:

- पीड़ित दक्षिण-पूर्वी यूरोप, सब-सहारा अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण और पूर्वी एशिया से थे।
- मानव तस्करी सभी देशों को प्रभावित करती है, चाहे वे भर्ती के स्रोत हों या शोषण के स्थान।
- अपराध से निपटने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

तस्करी के मूल कारण और यूरोप पर प्रभाव:

- कई देशों ने तस्करी रोकने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन अपराध के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए और प्रयास आवश्यक हैं।
- Pact for the Future: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जबरन श्रम, आधुनिक गुलामी, और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के बारे में

- UNODC संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है जो आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- यह अवैध मादक पदार्थों और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाता है।
- 1997 में, संयुक्त राष्ट्र ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के विलय से UNODC की स्थापना हुई।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के बारे में

- UNODC का मुख्यालय विना, ऑस्ट्रिया में है और यह 52 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 150 से अधिक देशों में काम करता है।
- यह संगठित अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, भ्रष्टाचार, और आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है।




2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के बारे में

UNODC के कार्य

- मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के प्रति लोगों को शिक्षित करना।
- अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और संबंधित अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना।
- अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय सुधार में सहायता करना ताकि कानून का शासन मजबूत हो और स्थिर व सुरक्षित आपराधिक न्याय प्रणाली बनाई जा सके।





2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के बारे में

UNODC के कार्य

- अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरों का मुकाबला करना।
- 2002 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आतंकवाद रोकथाम शाखा (Terrorism Prevention Branch) के विस्तारित कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ 18 कानूनी उपकरणों को लागू करने में सहायता प्रदान की जाती है।



2024 का मानव तस्करी पर ग्लोबल रिपोर्ट (UNODC)

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के बारे में

वित्तपोषण

- UNODC का अधिकांश काम स्वैच्छिक योगदान, मुख्य रूप से सरकारों द्वारा दिए गए धन पर निर्भर करता है।

"

